جولائی ۲۰۱۰ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰہِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

السّلام علیک یا باب الحوائج

نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیہ غفرانمآب، چوک، لکھنؤ-۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2008-10 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

JULY 2010

NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Phone : 2252230

वर्ष-7

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd No-SSP/LW/NP-75/2008-10
P.O. Chowk. Dispatch Date: 2 & 6 of every month

अंक-1

जुलाई - 2010

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

शुआ-ए-अमल

''लखनऊ''

संरक्षक

मौलाना सै. कल्बे जवाद नक़वी साहब

सम्पादक

सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

सलाहकारी परिषद

प्रोफ़ेसर अल्लामा सै० अली मुहम्मद नक़वी, प्रोफ़ेसर सै० हुसैन कमालुद्दीन अकबर,
प्रोफ़ेसर सै० इमरान हैदर, मु० र० आबिद, सैय्यद समीउल हसन वसीम, तज़्हीब नगरौरी

वार्षिक - 200 रु

मिलने का पता

क़ीमत - 20 रु

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन
इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड
चौक लखनऊ - 3 (उ.प्र.) भारत। फोन न० 0522-2252230

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूर-ए-हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफा हुसैन नक़वी 'असीफ जाएसी'।

मजलिसे इदारत

- डॉ० अमानत हुसैन
- सै० सुफ़यान अहमद नदवी
- तज़हीब नगरौरी
- डॉ० आरिफ़ अब्बास
- मिर्ज़ा हुमायूँ क़दर

▼▼▼

R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526

▼▼▼

Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10

●●●

WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com

●●●

E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

ज़रे सालाना

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

(जुलाई 2010ई० रजबुल मुरज्जब-शाबानुल मुअज़्ज़म 1431हि०)

न०	मज़मून व लेखक	पेज
1—	**इस्लाम दीने अमल है** सैय्यिदुल उलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह	3
2—	**इस्लाम में औरतों का दर्जा** क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद साहब क़िब्ला	9
3—	**मुख्य समाचार** इदारा	15

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ास० ने फ़रमायाः-

- किसी भी मुसलमान का मज़ाक़ न उड़ाओ बेशक एक छोटा मुसलमान भी ख़ुदा के नज़दीक बुज़ुर्ग है।
- इन्सान की बदी और शर के लिए बस यही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई का मज़ाक़ उड़ाए।
- मज़ाक़ उड़ाने वालों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जायेगा और उनसे कहा जायेगा कि जन्नत की तरफ़ आगे बढ़ो जैसे ही वह लोग अपने ग़मो गुस्से की हालत में जन्नत के दरवाज़े की तरफ़ बढ़ेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा फ़ौरन बन्द हो जायेगा।
- ग़ीबत से परहेज़ करो बेशक ग़ीबत ज़िना से बदतर है।
- जो शख़्स एक लुक़्मा हराम खाये तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती।

क़िस्त-1

इस्लाम दीने अमल है

आयतुल्लाहिलउज़मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह

(बतारीख़ 11, नवम्बर 1977ई० 9 बजे शब)

क़ुरआने करीम के तीईस्वें पारे में मुख़्तसर तरीन तो नहीं, मगर मुख़्तसर सूरों में "सूरए ज़िलज़ाल" तरतीबे क़ुरआनी में सूरए आदियात से पहले है। इसी में की दो आयतें हैं जिनको मैंने उनवाने कलाम क़रार दिया है।

इरशाद हो रहा हैः-

उस दिन गिरोह-गिरोह जमातें इन्सानों की बरआमद होंगी। ताकि उनके आमाल उन्हें दिखाए जाएं, जिसने ज़र्रा भर भी बुरा अमल किया है वह उसे देखेगा।

"आमाल दिखाए जाएंगे" यानी हर एक के आमाल का अन्जाम उसके सामने आयेगा।

मेरा मौज़ू (टॉपिक) "इस्लाम दीने अमल है" इसमें दो शोबे हैं:

एक शोबा दुनियावी मक़ासिद के लिए और दूसरा उख़रवी मक़ासिद के लिए चूँकि मेरे बयान के लिए दो मजलिसें हैं और मौज़ू वसीअ़ है, इसलिए मैं इन दोनों शोबों को दो मजलिसों पर तक़सीम करता हूँ। इस वक़्त पहले शोबे 'अमल' का बयान करना है जो दुनिया से मुताल्लिक़ है।

कोई कह सकता है कि दुनिया से एक आलिमे दीन को क्या मतलब? मगर ये किसी और दीन का आलिम हो तो उस से मुतालबा हो सकता है कि वह दुनिया से मतलब न रखे। लेकिन जो किसी हद तक कहलाता हो "दीने इस्लाम का आलिम" उस से ये मुतालबा दुरुस्त न होगा कि वह दुनिया से अलग हो जाए। इस्लाम ने दुनिया को अपने दायरे से बाहर नहीं रखा है तो एक आलिमे इस्लाम क्योंकर तलक़ीन कर सकता है कि दुनिया से मतलब न रखो। अगर कोई ये कहता हो कि हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं तो इसका मतलब ये है कि उसे इस्लाम का इल्म नहीं है।

बेशक कलामे अमीरुलमोमिनीन में कसरत से दुनिया की मज़म्मत है मगर वह उस दुनिया की है जो मुक़ाबिले दीन है। वरना हम में से कौन है जो ये कहे कि हमें दुनिया की कामयाबी की ज़रूरत नहीं है?

दुनिया के मफ़ादात क्या हैं? माले दुनिया, इज़्ज़ते दुनिया और औलाद। इनमें सरेदस्त माले दुनिया ही के बारे में अर्ज़ करना है।

कोई इज़हारे ज़ोहदो तक़वा के लिए कहे कि हमें माल की ज़रूरत नहीं है।

मैं कहता हूँ कि अव्वल तो ये सदा ही खोखली है। अगर पैसा मिल रहा हो, फिर कहें हमें ज़रूरत नहीं तो एक बात है। वरना फिर इस्मते बीबी, बेचादरी का मज़मून है। लेकिन अगर वाक़ई ज़हनी तौर पर किसी को ये तसव्वुर हो कि पैसे की ज़रूरत नहीं है तो ये तसव्वुर इस्लाम के नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त नहीं है अगर पैसे का तसव्वुर न होता तो क़ुरआन में तक़रीबन हर जगह सलात और ज़कात का नाम एक साथ क्यों होता हालांकि वाक़िआ यही है कि जहाँ-जहाँ सलात का ज़िक्र है वहाँ ज़कात का भी ज़िक्र है।

इस्लाम "दीने अमल" होने के साथ "दीने अक़्ल" है लेहाज़ा साहेबाने अक़्ल ग़ौर करें कि इस

वक़्त हमारा मआशरा क्या है? ज़कात की शर्तों के लेहाज़ से ज़कात हमारे यहाँ कितने आदमियों पर वाजिब है। फ़ीसदी शायद एक हो जिसमें शरायते ज़कात हासिल हों। नमाज़ तो सबको पढ़ना है और ज़क़ात दो एक को देना है तो बलाग़ते क़ुरआनी का तक़ाज़ा ये था कि नमाज़ का हुक्म अगर सौ जगह पर हो तो बस दो एक जगह ज़कात का बयान हो लेकिन क़ुरआन में तक़रीबन हर जगह सलात के साथ ज़कात का हुक्म होना बतलाता है कि क़ुरआन एक ऐसे समाज की तश्कील चाहता है जो मुफ़लिस और क़ल्लाश न हो। ऐसा समाज जिसमें हर फ़र्द पर जैसे नमाज़ वाजिब है उसी तरह ज़कात भी वाजिब हो।

हाँ इस तरक़्क़ीयाफ़्ता और फिर सोशलिज़्म वग़ैरा के तसव्वुरात से मुतास्सिर दौर में कुछ लोग फ़लसफ़-ए-ज़कात ये क़रार देते हैं कि ज़कात का हुक्म तो इस वास्ते है कि पैसे ज़्यादा न होने पाएं। मगर मैं कहता हूँ कि अगर क़ौम के पास पैसे का न होना मद्देनज़र होता तो लेने वालों को क़ौम के अन्दर क्यों महदूद किया जाता। हालांकि मुस्तहेक़्क़ीने ज़कात फ़ुक़रा व मसाकीन में शर्त है कि वह मोमिनीन में से हों। मालूम होता है कि ये मन्ज़ूर नहीं कि क़ौम का रुपया क़ौम के अन्दर से निकले। मगर मतलूब ये है कि पैसा एक जगह मुन्जमिद न हो जाए जैसे ख़ून तमाम जिस्म में गर्दिश करता है उसी तरह पैसा तमाम क़ौम में गर्दिश करता रहे।

फिर कोई कह ले कि पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं तो क्या रोटी की भी ज़रूरत नहीं है?

बेशक ये सवाल पैदा होता है कि रोटी ज़रिय-ए-हयात या मक़सदे हयात? अगर रोटी ज़िन्दगी का ज़रिया है तो इसके बाद सोचना होगा कि मक़सदे हयात क्या है? और ज़ाहिर है कि मक़सद का दर्जा ऊँचा होता है। तो अब बलेहाज़े अहमियत तीन दर्जे होंगे। पहले रोटी, दूसरे ज़िन्दगी तीसरे मक़सदे ज़िन्दगी तो जिस तरह रोटी से ज़िन्दगी अहम, उसी तरह ज़िन्दगी से मक़सदे ज़िन्दगी अहम है। जब रोटी ज़िन्दगी की ख़ातिर है तो फिर ऐसी रोटी जिसके खाने से हैज़ा हो जाए, हासिल करने के लायक़ न होगी। और चूँकि ज़िन्दगी से भी अहम उसका मक़सद है तो वह रोटी भी तर्क करने के क़ाबिल न होगी जो मक़सदे हयात को नुक़सान पहुँचाए मसलन वह रोटी जो किसी की जान लेकर मिले या वह रोटी जो बेगुनाहों के घर जलाकर मिले, वह रोटी जो फितना व फ़साद बरपा करके मिले, इसलिए छोड़ने के क़ाबिल होगी कि वह मक़सदे हयात को नुक़सान पहुँचाती है और यहीं से रिज़्क़ में हलाल व हराम का फ़र्क़ पैदा होगा और जब रोटी के निज़ाम के साथ जायज़ व नाजायज़ के इम्तियाज़ (फ़र्क़) की क़ैद लग जायेगी तो उस रोटी वाले निज़ाम से इस्लाम गले मिल जायेगा।

बहरहाल रोटी की ज़रूरत नाक़ाबिले इन्कार है मगर जिस क़ौम की आदत हो। बग़ैर मेहनत के रोटी मिलने की और ख़्वाहिश यही हो कि बग़ैर मेहनत के रोटी मिल जाए उसके यहाँ ऐसे तसव्वुरात तराश लिये जाते हैं और कभी सही तसव्वुरात का ग़लत इस्तेमाल किया जाता है कि मेहनतो मशक़्क़त करना न पड़े और रोटी मिल जाए चुनानचे मज़हबी हलक़े में सबसे पहले एक तसव्वुर बेअमली को निभाने के लिए सामने लाया जाता है ये कि जो तक़दीर में लिखा है वह मिटता नहीं। मुक़द्दर में फ़ाक़े हैं तो फ़ाक़े करना पड़ेंगे और खाना मिलना है तो मिलकर रहेगा। मेहनत और मशक़्क़त से क्या फ़ायदा?

मैं कहता हूँ कि क्या तक़दीर का मसअला सिर्फ़ रिज़्क़ के मामले में है? अगर आप इस उसूल के क़ायल हैं तो बच्चा ख़ुदा नख़्वास्ता बीमार हो तो डाक्टर के यहाँ न जाईये। अगर ज़िन्दा रहना है तो रहेगा। डाक्टर के यहाँ जाने से क्या फ़ायदा?

अगर कोई मुक़द्दमा अदालत में हो तो किसी वकील के पास क्यों जाइये? अगर तक़दीर में होगा तो मुक़द्दमा जीतियेगा वरना हार जाईयेगा।

मगर डाक्टर के यहाँ जाना, दवा लाना, फिर शीशी को हरकत देकर दवा का मुँह तक पहुँचाना। एक सिलसिला अमल का है जिससे आप बेनियाज़ नहीं हैं। मुक़द्दमे में वकील या बैरिस्टर के यहाँ दौड़े, अदालत के चक्कर लगाए, तमाम ज़राए फ़राहम किये.... ये सब

क्या अमल की मंज़िलों से अलग है। इन सब मंज़िलों से गुज़रने के बाद नतीजे के हुसूल का इन्तिज़ार होता है।

दूर क्यों जाइये। इस वक़्त आप मजलिस में आकर मेरा बयान सुन रहे हैं तो दूर-दराज़ से या यहीं कहीं दूर या क़रीब से, किसी सवारी पर या पैदल रास्ता तै करके आए। ज़्यादा या कम जो दुश्वारी पेश आई उसे टालने की कोशिश की। इसकी क्या ज़रूरत थी। आराम से अपने घर में रहते, तक़दीर में होता तो मजलिस सुन लेते।

ये सब मश्वरे अगर कोई दे और तक़दीर के मसअले को सामने रख कर दे तो आप क़ुबूल न करें बल्कि उस शख़्स को शायद दीवाना कहें और रिज़्क़ के मामले में आप तक़दीर पर शाकिर होकर सई व अमल (कोशिश और काम) से गुरेज़ करें।

हक़ीक़ते अम्र ये है कि बाज़ औक़ात असल तक़दीर यही है कि तुम इलाज करो तो मरीज़ अच्छा हो, तिजारत करो तो नफ़ा हो। हुज़ूरे वाला इन तमाम कोशिशों के बाद भी मक़सद हासिल न हो, तब ये कहने का हक़ है कि हमारी तक़दीर में नहीं था।

अब अगर ये सवाल किया जाए कि दो तरह की तक़दीरें क्यों रखी गयीं? मैं कहता हूँ कि मशरूत तक़दीर इसलिए रखी कि बेअमली पैदा न हो और कुछ तक़दीरें मुतलक़ इसलिए रखीं कि तुम ख़ुदा को न भूलो और अपने ही को ख़ुदा न समझ लो इसलिए शरीअत ने कहा दवा करो और फिर दुआ भी करो दवा अपने फ़र्ज़ को अदा करने के लिए और दुआ उसकी रहमत को मुतवज्जह करने के लिए।

तक़दीर का अक़ीदा हक़ है मगर ये तसव्वुर कि इस बुनियाद पर बेअमली की ज़िन्दगी हक़ बजानिब क़रार पाई है, बिल्कुल ग़लत है।

एक दूसरा तसव्वुर ये है कि अल्लाह रिज़्क़ का ज़ामिन है। जब अल्लाह ज़ामिन है तो फिर हम मशक़्क़त क्यों उठायें? ये सवाल इमाम के सामने पेश हुआ जब आप ने किसी से फ़रमाया आख़िर तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसने जवाब दिया अल्लाह रिज़्क़ का ज़ामिन है तो हम क्यों मशक़्क़त करें? हज़रत ने फ़रमाया कि अल्लाह ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी तुमको हाथ और पाँव देकर अब उसकी ज़िम्मेदारी तुम पर है कि तुम अपने रिज़्क़ को उनके ज़रिये हासिल करो।

बेशक हज़रत अली इब्ने अबी तालिब[अ०] की तरफ दो शेअ्र मन्सूब हुए हैं जिनका मतलब ये है कि वह ख़ुदा जो बच्चे को शिकमे मादर में ग़िज़ा पहुँचाता है हमें ग़िज़ा न पहुँचायेगा?

ये अगर मौला का कलाम होता तो ज़रूर ग़ौर तलब था मगर हक़ीक़त ये है कि ये हज़रत का कलाम नहीं है और हक़ीक़त के लेहाज़ से दुरुस्त भी नहीं है इसलिए बच्चे को अल्लाह रिज़्क़ उस वक़्त तक देता है, जब तक अपनी तरफ़ से क़ैदख़ाने में रखता है और जब वह इस दारे दुनिया की खुली फ़ज़ा में आ गया तो अब माँ-बाप का फ़रीज़ा हो जाता है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और अब इस्तेदलाल का रुख़ पलट जाता है। मैं कहता हूँ कि जो बच्चे को बग़ैर इन्सानी अमल के रिज़्क़ न पहुँचाए वह हम ऐसे हाथ पैर वालों को बग़ैर सई व अमल (कोशिश) रिज़्क़ क्यों देगा?

जानवर तक रिज़्क़ हासिल करने के असबाब फ़राहम करते हैं। जब जानवर बग़ैर सई व अमल के नहीं खाता तो इन्सान बग़ैर सई व अमल के क्योंकर खा सकता है?

बहुत से लोगों का कहना है कि जब हमारे बाप-दादा ने तिजारत नहीं की तो हम ये टके-टके की चीज़ें क्योंकर फ़रोख़्त करें। ये हमारी बेइज़्ज़ती है कि हम फेरी करें या दुकान लगाएं। जो ये कहते हैं, वह सुनें कि आपके बाप-दादा ने तो कभी फ़ाक़े नहीं किये थे। ये हुज़ूरेवाला क्यों फ़ाक़ा करते हैं।

बाप-दादा ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए कि उनके पास मुफ़्त की दौलत थी, उन्हें ज़रूरत न थी अब आपको ज़रूरत है तो आपको ये सब करना चाहिए।

अब दूसरों की ज़हनियत और उनके तर्ज़े अमल की ग़लती ये है कि कल तक वह मिर्ज़ा साहब, मीर साहब, ख़ान साहब वग़ैरा कहलाते थे और जब से वह तरकारी बेचने लगे, बिस्कुट फ़रोख़्त करने लगे तो अब तरकारी वाले और बिस्कुट वाले कहलाने लगे, मीर

साहिबी और ख़ान साहिबी ख़त्म हो गई। आख़िर उनके तर्ज़ेअमल में ये तबदीली क्यों पैदा हुई? उनका ये अमल उनकी ग़लत ज़हनियत का तर्जुमान है। लेकिन उन्हें इसका बुरा न मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जब तक वह मीर साहब और मिर्ज़ा साहब कहलाते थे, वह एक वस्फ़े इज़ाफ़ी का इज़हार था। और अब जो उनके कारोबार के लेहाज़ से उनको पुकारा जा रहा है तो ये जौहरे ज़ाती का एलान है जिस पर उन्हें फ़ख़्र करना चाहिए।

हमारे रहनुमायाने दीन ने अपने अमल से हमारे तसव्वुरात की इस्लाह के लिए सरमाया फ़राहम कर दिया है। हम ज़्यादा तक़दीर के क़ायल या रसूले ख़ुदा[स॰] और अमीरुलमोमिनीन[अ॰]? हम ख़ुदा के ज़ामिने रिज़्क़ होने पर ज़्यादा बाईमान या ये लोग? हम ज़्यादा हक़ीक़ी मेयारे तवक्कुल के जानने वाले या ये हज़रात?

पैग़म्बरे ख़ुदा[स॰] ने रिसालत से पहले अपना तार्रुफ़ दुनिया से बहैसियत ताजिर के कराया..... तिजारत की इससे बड़ी बलन्दी क्या होगी कि बरबिनाए वाक़िआ ये कहा जा सकता है कि एक ताजिर को अल्लाह ने ख़ातमुल मुरसलीन[स॰] बनाया। अब अगर कोई आदमी ताजिर को हक़ीर समझे तो बात कहाँ जाती है?

अगर तिजारत बुरी चीज़ होती तो ख़ालिक़ बलन्द हक़ीक़तों की ताबीर तिजारत से न करता मसलन इरशाद होता हैः

''ऐ ईमान वालों! क्या मैं तुम्हें बताऊँ वह तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से नजात दे।''

''वह ये कि अल्लाह और उसके पैग़म्बर पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जेहाद करो।''

महसूस होता है कि मुख़ातब वह जमाअत है जो तिजारत पेशा है यहाँ तक कि शोहदा-ए-राहे ख़ुदा को मैदाने जंग में जो रुख़्सत दी जा रही है वह यूँ कि

''अल्लाह ने मोल लिया मोमिनीन से उनके जान व माल को इस क़ीमत पर कि उनके लिए जन्नत है।''

याद रखना चाहिए कि क़ीमत वह होती है जिसकी नज़रे ख़रीदार में मालियत हो। ये आम मोमिनीन थे जिनका मुन्तहाए नज़र जन्नत है। उनके नुफ़ूस की क़ीमत जन्नत हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसा बलन्द नज़र बन्दा हो कि वह बारगाहे इलाही में कहता रहा होः

''मैंने तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच में नहीं की, न तेरी उस आग के डर से की मगर मैंने तुझको इबादत का हक़दार पाया इसलिए तेरी इबादत की।''

क्या उबूदियत की नियाज़मन्दी में इतनी बेनियाज़ी की शान कभी तसव्वुर में आ सकती थी। बहरहाल इस से पता चल गया कि उस बन्दे की नज़र में जन्नत कोई क़ीमत नहीं रखती तो अब उसके नफ़्स की क़ीमत जन्नत कहाँ हो सकती है? इसलिए क़ुरआन जब उसकी क़ीमत बतायेगा तो जन्नत नहीं बल्कि रिज़ाए इलाही जिसका जन्नत एक समरा (फल) है।

तो ये इतनी बड़ी क़ुरबानी थी कि ख़ैबर और ख़न्दक़ का जेहाद भी जो मुतहर्रिक अन्दाज़ का था इतना अज़ीम शायद न था। जितनी कि ये साकित व साकिन क़ुरबानी थी कि बिस्तरे रसूल[स॰] पर फ़िदय-ए-रसूल[स॰] बने रात भर सोते रहे यानी अगर खुले हुए अली[अ॰] होते तो इतने ख़तरे में न थे जितने रसूल[स॰] बन के लेटने से ख़तरे में थे। हमें मालूम है कि भेस बदला जाता है मगर उमूमन भेस वह इख़्तियार किया जाता है जो ख़तरे से दूर हो मर्द औरत का लिबास पहन कर ख़तरे से निकला करते हैं मगर ये नया भेस बदलना था कि जिसकी जान लेने का मन्सूबा हो उसका भेस इख़्तियार किया जाए तो अली[अ॰] ने ये इतनी बड़ी क़ुरबानी बहैसियते ताजिर की और बैनामा ख़ालिक़ ने क़ुरआन में उतार दिया मगर ये नजात (तिजारत) नक़ाबपोश तिजारत थी जिसमें ख़रीदार ख़ुदा था।

अब वह वक़्त है जब अली[अ॰] गोशानशीन नहीं बल्कि ख़िलाफ़ते ज़ाहिरी की मसनद पर हैं। मीसमे तम्मार की दुकान है और अली बैठे ख़ुरमे तौल-तौल कर ग्राहकों को दे रहे हैं।

अब बताइये क्या तिजारत बुरी चीज़ है? क्या मेहनतो मशक़्क़त करने से शराफ़ते ख़ानदानी जाती

रहती है?

हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़[अ०] एक बाग़ की दीवार को अपने हाथ से ऊँचा कर रहे हैं। असहाब कहते हैं: ''मौला! हम दीवार बना दें'' फ़रमाते हैं नहीं मैं अपने क़ुव्वते बाज़ू से अपना रिज़्क़ हासिल करना चाहता हूँ।

दोपहर में बाज़ार की तरफ़ जा रहे हैं। जिस्म तमाम पसीने से शराबोर है, एक परहेज़गारी का दावा करने वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। फरमाया बाज़ार जा रहा हूँ उन्होंने कहा आप फ़रज़न्दे रसूल[स०] होकर तलबे दुनिया के लिए जा रहे हैं! क्या आपको इसका अन्देशा नहीं कि इसी हालत में मौत आ जाए जबकि कारे दुनिया में मसरूफ़ हैं। हज़रत ने जवाब दियाः बख़ुदा अगर मुझे इस हालत में मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को गवाह करूँगा कि मैं तेरे अहकाम की तामील की हालत में दुनिया से गया हूँ।

एक बार एक जवान बेलचा काँधे पर रखे हुए मस्जिदे नबवी के सामने जा रहा था। हाज़िरुलवक़्त सहाबा में से किसी ने कहा, काश इसकी जवानी राहे ख़ुदा में सर्फ़ होती। रसूल[स०] ने कहा, तुमने क्योंकर जाना कि इसकी ज़िन्दगी राहे ख़ुदा में सर्फ़ नहीं हो रही है? याद रखो अगर वह पेट पालने के लिए जा रहा है तो उसका ये अमल राहे ख़ुदा में है और अगर अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ फ़राहम करने जा रहा है तो ये उसका अमल अल्लाह की राह में है हाँ अगर इस ख़याल से जा रहा है कि पैसा हासिल करके अपने और भाईयों पर बड़कपन जताए तो ये अमल शैतान के लिए है। अब ये जिस चीज़ को अमले शैतान कहा गया है, इसमें दुनियवी कोशिश की ख़ुसूसियत नहीं है नमाज़ पढ़ने में अगर दूसरों पर बड़कपन जताना पेशे नज़र हो तो वह नमाज़ भी फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है।

बाज़ मज़ाहिब में मशक़्क़त उठाना और अपने को अज़िय्यत पहुँचाना ख़ुद इबादत है। मसलन हाथ उठाये रखना और इस तरह उसे ख़ुश्क कर देना। कई-कई दिन खड़े रहना जिससे पैरों पर वरम आ जाए या और तरह-तरह से जिस्मानी आज़ा को अज़िय्यत देना। तख़्ते पर जिसमें मेख़ें गड़ी हुई हों, बरहना जिस्म को मोअल्लक़ रखना, मगर इस्लाम दीने अमल है। दीने अज़िय्यत नहीं। हाथ ख़ुश्क कर लिया तो हाथ किसने दिया था? अल्लाह ने। और किसी मक़सद के लिए दिया था तो जब हाथ अता हुआ था हाँ बेशक ''आमाल में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल वह है जिसमें ज़्यादा मशक़्क़त हो'' इसका मतलब ये है कि इस्लाम में मशक़्क़त बा मक़सद होना चाहिए। इबादत के लेहाज़ से फ़ज़ीलत उस काम की है जिसके लिए मशक़्क़त उठाई जा रही है। ख़ुद मशक़्क़त या अज़िय्यत उठाना कोई काम नहीं और न वह ख़ुद कोई बलन्द मक़सद है मगर दूसरों के यहाँ ख़ुद मशक़्क़त या अज़िय्यत उठाना इबादत है। इसी तरह जान देना हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है।

फ़ीसबीलिल्लाह जान देना इबादत है इसे कहा गया है- ''जो अल्लाह की राह में क़त्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा न समझो'' हम इसकी ताबीर करते हैं हयाते शोहदा से मगर क़ुरआन में हयाते शोहदा के ज़िक्र में लफ़्ज़ शोहदा नहीं है बल्कि मेयारे शोहदा बताया है। जो क़त्ल हुआ अल्लाह की राह कौन जाने? मंज़िल माद्दी हो तो रास्ता माद्दी होगा। ये है अल्लाह का रास्ता, अब रास्ता पहचानने वाला वही होगा जो मंज़िल पहचानने वाला हो लेहाज़ा जो अल्लाह की मारफ़ते कामिल रखता हो वही उसकी राह का समझने वाला हो सकता है। इसीलिए बग़ैर इज़्ने मासूम जो हो वह जंग होगी मगर जेहाद न होगा।

अगर ख़ानदानी हमिय्यत पर जान दी तो वह अल्लाह के लिए नहीं है। उसका मुआवज़ा ख़ानदान से लेना चाहिए। अगर हमिय्यते क़ौमी के लिए जान दी तो ये अल्लाह की राह में नहीं है। क़ौम से उसका सिला मिलना चाहिए। सिर्फ़ जोश में कोई कारनामा हुआ तो वह अल्लाह की राह में नहीं है।

पैग़म्बरे ख़ुदा[स०] के ज़माने में ओसामा ने एक काफिर पर वार किया उसने तलवार की ज़द पर आकर कलमा पढ़ दिया मगर उनका हाथ न रुका और उसे क़त्ल कर दिया। हज़रत[स०] ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दिल से उसने कलमा नहीं पढ़ा था

बल्कि जान के ख़ौफ़ से पढ़ा था। आपने फ़रमाया: "क्या तुम ने उसका दिल शगाफ़्ता करके करके देखा था। मालूम हुआ कि हर क़दम पर होश रखने की ज़रूरत है, जोश से काम नहीं चलता।

ग़रज़ बात तो कारोबार और तलबे मआश की थी। अब मैं कुतुबे रिजाल का हवाला दूँगा। अस्हाबे अइम्मा ये दौरे मासूमीन के हमारे उलमा थे। इनमें से किसी के नाम के साथ तहान (पीसने वाला), किसी के नाम के साथ तम्मार (ख़ुरमे बेचने वाला) किसी के नाम के साथ जम्माल (ऊँटों की सारबानी करने वाला) किसी के नाम के साथ तब्बान (घाँस वग़ैरा फ़रोख़्त करने वाला) कोई दहहान (घी-तेल बेचने वाला) इससे ज़ाहिर है कि मेहनतो मशक़्क़त इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं।

(बाक़ी आइन्दा)

Noor-e-Hidayat Foundation

Registered with Commissioner Income Tax under section• **12A** (a) vide order dated 27-01-2010 & recognized under section **80G** (5) (vi) w.e.f. 01-04-2009 to 31-03-2011

बराए करम नूरे हिदायत फाउण्डेशन की ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद करके दीनी, समाजी और इल्मी ख़िदमत में हमारा साथ दें। जिन हज़रात के ज़िम्मे मासिक "शुआ-ए-अमल" की सालाना फ़ीस बाक़ी है उनसे ख़ासतौर से गुज़ारिश है कि जल्द से जल्द बक़ाया रक़म मनीआर्डर, चेक या ड्राफ्ट की सूरत में अदा फ़रमाकर इस शरई क़र्ज़ को अदा फ़रमाएं।

<u>Bank Accounts Details:</u>

(1)**Name: Shua-e-Amal**
A/c Number: 559302010004271
Bank:Union Bank of India
Branch:Husainabad Lucknow (India)

(2) **Name:Noor-e-Hidayat Foundation**
A/c Number: 559302010003199
Bank: Union Bank of India
Branch: Husainabad Lucknow (India)

Noor-e-Hidayat Foundation

Imambara Ghufranmaab, Maulana Kalbe Husain Road,
Chowk, Lucknow-226003 (U.P.)
Phone: 0522-2252230 — 0522-4062731 — 9335276180
e-mail: noorehidayat@gmail.com — noorehidayat@yahoo.com
website: www.noorehidayatfoundation.com — www.al-ijtihaad.com

इस्लाम में औरतों का दर्जा

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द

(1)

आज जबकि माद्दी तरक्क़ियाँ और साइंसी पेशरफ़्त आँखों को चकाचौंध और दिलों को मुसख़्ख़र कर रही है बाज़ दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम को बदनाम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जिसका शिकार इस्लाम की सतही मालूमात रखने वाले कुछ मुसलमान भी हो जाते हैं। प्रोपगण्डा ये है कि इस्लाम तरक़्क़ी का मुख़ालिफ़ है, ख़ुसूसियत से ख़्वातीन की तरक़्क़ी का, इस्लाम ने ख़्वातीन को उनके हुक़ूक़ से महरूम कर दिया है और उनके एहतेराम का क़ायल नहीं है। हक़ीक़त इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अकेला इस्लाम वह दीन है जिसने पहली बार औरत को उसका वाक़ई दर्जा अता किया और यही वह दीन है जो उसके जुमला हुक़ूक़ का ज़ामिन है।

इस्लाम के तमाम क़वानीन की बुनियाद अदालत है और अदालत के माने हैं हर चीज़ को उसके मक़ाम पर रखना जिसके वह लायक़ है और हर एक को वह हक़ देना जो हर एक के लिए मुनासिब है। तारीख़ को देखने से अन्दाज़ा होता है कि इस्लाम से पहले और रिसालतमाआब[स०] की बेअ्सत के वक़्त औरतों की कितनी बुरी हालत थी और दीने इस्लाम ने किस तरह उनको अज़्मत अता की और उन्हें इज़्ज़त की मेराज पर पहुँचा दिया। औरतों की हालत जानवर से बदतर थी। उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर उन्हें हंसने का हक़ भी न था। रूमी समाज में औरतों का शुमार इन्सानों में नहीं होता था। उनका शुमार ख़रीदने बेचने वाली चीज़ों में किया जाता था। उनको मिलकियत का हक़ हासिल न था। अरब में लड़कियों का ज़िन्दा दफ़न कर देना तो हर ज़बान पर है।

इस्लाम में औरतों की क़द्रो मंज़िलत का सुबूत इस से बढ़कर और क्या होगा कि क़ुरआन मजीद की दस सूरतों में औरतों के हुक़ूक़ और उनकी बड़ाई से मुताल्लिक़ मसाएल बयान हुए हैं। इसके अलावा क़ुरआन मजीद ने जगह-जगह औरतों और मर्दों को यकसाँ तरीक़े से मौरिदे ख़िताब क़रार दिया है। इस तरह से इस इलाही किताब ने इस्लाम के मुख़ालिफ़ीन के इस शक को पूरी तरह रद कर दिया है कि इस्लाम औरतों के हुक़ूक़ का क़ायल नहीं है।

इस्लाम से पहले दुनिया की किसी भी तहज़ीब में औरत की हैसियत वाक़ई उसके वजूद की अहमियत और उसकी इज़्ज़त और हुरमत और हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिए कोई भी क़ानून मौजूद नहीं है। इस्लामी तहज़ीब वह अव्वलीन तहज़ीब है जिसने औरत को इन्सानी ज़िन्दगी के इज्तेमाई, अख़लाक़ी और क़ानूनी मसाएल में बावक़ार जगह इनायत फ़रमाई है। इस्लाम ने औरतों को समाज के एक मोअस्सिर हिस्से के तौर पर क़ुबूल किया है, जिसका सुबूत रसूलुल्लाह[स०] का मर्दों के साथ-साथ औरतों से भी बैअत लेना है जो बेहतरीन दलील है कि इस्लामी समाज में जो अहमियत मर्दों को हासिल है, वही औरतों को भी है और हिफ़ाज़ते इस्लाम के लिए जितनी मर्दों की ज़रूरत है उतनी ही औरतों की भी।

जिस वक़्त औरतें ज़ुल्मो सितम की चक्की में

पीसी जा रही थीं। दुनिया की सारी नाम नेहाद तहज़ीबें औरतों की मौजूद पस्त तुफ़ेली और इन्सानी दर्जा दोम के उनवानात से पहचनवा रही थीं। औरतों की ज़िन्दगी के हर रुख़ पर महरूमियत साया फेगन थी और उन्हें कहीं से भी उम्मीद की हल्की सी किरन नज़र नहीं आ रही थी। उस वक़्त इस्लाम का सूरज निकला, जिसने औरतों की ज़िन्दगी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक रौशन कर दिया। रसूले अकरम[स०] ने क़ुरआनी आयात के ज़रिये साबित फ़रमाया कि औरत मर्द ही की तरह एक मुकम्मल इन्सान बनने की भरपूर सलाहियत और तमाम इन्सानी करामात और कमालात के लिए शाइस्तगी की हामिल है। कई क़ुरआनी आयतों में इन्सान की अज़मत व शराफ़त का एलान है। आलमे हस्ती में इन्सान की अहमियत को बयान करते हुए क़ुरआन फ़रमाता है कि आसमान को इन्सान ही के लिए बलन्द किया गया है, ज़मीन को उसी के लिए फैलाया गया है, बादल उसी के लिए पानी बरसाते हैं, ज़मीन इसी इन्सान के लिए कई तरह की नेमतें पैदा करती है। चमकते हुए चाँद-सूरज और दरियाओं की उठने वाली मौजें सब इन्सानों के लिए बनाई गई हैं। रात का आराम देने वाला अन्धेरा और दिन का रौशन चेहरा इन्सान के लिए ही पैदा किया गया है। क़ुरआन मजीद में इरशादे रब्बानी है, तर्जुमाः ''ये तो हमारी इनायत है कि हम ने बनी आदम को बुज़ुर्गी दी और उन्हें ख़ुशकी और तरी में सवारियों पर बिठाया है और उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है और अपनी मख़लूक़ात में से बहुत सों पर फ़ज़ीलत अता की है। (सूरा असराः 70) दूसरी जगह पर इरशाद हैः ''क़सम है ज़ैतून और इन्जीर की और तूरे सीनीन की और उस अमन वाले शहर की, हमने इन्सान को बेहतरीन बनावट पर पैदा किया है।'' यहाँ भी इन्सान से मर्द और औरत दोनों मुराद हैं। एक और जगह पर इरशाद हो रहा हैः ''इन्सानो हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया फिर तुम में शाख़ें और क़बीले क़रार दिये ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादा मोहतरम वह है जो ज़्यादा परहेज़गार है।'' (सूरा हुजरातः 13) आयते करीमा तक़वा और परहेज़गारी को मेयारे इज़्ज़त क़रार दे रही है। इसमें औरत या मर्द की कोई क़ैद नहीं, जिसका दर्जा किरदार में ऊँचा है। चाहे वह मर्द हो या औरत, वह उस पर बरतरी रखता है जो तक़वे में उससे कमतर है चाहे वह मर्द हो या औरत। इस मेयार के मुताबिक़ अगर कोई ख़ातून तक़वे के मरतबे में ऊँची है तो वह उस मर्द पर बड़ाई रखती है जो तक़वे के दर्जे में कमतर है।

क़ुरआन मजीद में 51 जगहों पर इन्सानी सआदत व कामयाबी का मेयार ईमान और अमले सालेह को क़रार दिया गया है, जिनमें कुछ जगहों पर सराहतन बयान किया गया है कि ये मेयार औरत व मर्द दोनों के लिए एक ही तरह है, ''जो कोई भी नेक अमल अन्जाम दे चाहे वह मर्द हो या औरत और वह मोमिन भी हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िन्दगी अता करेंगे और उनके अमल से बेहतर उन्हें जज़ा देंगे।'' (सूरा नहलः 79) दूसरी जगह इरशाद होता हैः ''जो नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत इस हाल में कि ईमान वाला भी हो तो यह लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और वहाँ उन्हें बेअन्दाज़ा रिज़्क़ अता होगा (सूरा मोमिनः 40) इन तमाम आयात में सबसे रौशन और वाज़ेह आयत नीचे दी गई हैः ''मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, असरपज़ीर दिल रखने वाले मर्द और ऐसी ही औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें, अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है बख़्शिश और अज्रो सवाब'' (सूरा अहज़ाबः 35) यह सारी आयतें उस ज़माने में नाज़िल हुईं हैं जब दुनिया में अक्सर जगहों पर ख़ित्ता-ए-अरब भी शामिल था। यह ग़लत अक़ीदा राएज था कि अगर कोई औरत गुनाह करेगी तो गुनाह का अज़ाब उसकी गर्दन पर होगा और सज़ा भी मिलेगी,

लेकिन अगर कोई नेक काम करेगी तो उसका सवाब मर्द को मिलेगा क्योंकि औरत अपनी नीचता की वजह से किसी भी सवाब और बदले की हक़दार नहीं है। क़ुरआन मजीद ने इस ग़लत अक़ीदे की मुकम्मल नफ़ी फ़रमा दी है। ऊपर दी हुई क़ुरआनी आयतें मुकम्मल तौर से साबित करती हैं कि इस्लाम और क़ुरआन की निगाह में जो एक मर्द को कामिल इन्सान का दर्जा हासिल है, वही एक औरत को भी हासिल है।

क्योंकि बात क़ुरआन से मुताल्लिक़ है इसलिए एक ग़लतफ़हमी को दूर करना भी ज़रूरी है जो क़ुरआन मजीद ही की तरफ मन्सूब की जाती है और वह ये अक़ीदा है कि औरत जनाब आदम की बाईं पसली से पैदा की गई है जिसकी बुनियाद क़ुरआन मजीद की एक आयत को बनाया गया है जिसमें इरशाद है ''ऐ इन्सानो! लेहाज़ करो परवरदिगार का जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से और उसी से उसकी रफ़ीक़-ए-हयात को पैदा किया'' (सूरा निसाः 1) कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आयते करीमा की तफ़सीर में लिखा है कि अल्लाह तआला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा किया। इस तफ़सीर से ये ख़यालात पैदा हुए कि औरत एक मुस्तक़िल मख़लूक़ नहीं, वह पसली से पैदा हुई है जो टेढ़ी वाक़े हुई है और पसली भी बाईं तरफ़ की है। इस तरह औरत ज़ाती इस्तेक़लाल नहीं रखती है, इसलिए कभी सीधी नहीं हो सकती, अगर सीधा करने की कोशिश होगी तो टूट जाएंगी और चूँकि बाईं पसली से पैदा होती हैं इसलिए उससे सिधाई की कभी उम्मीद न रखनी चाहिए। कुछ शायरों ने इस सिलसिले में शेअ्र भी कह दिये हैं।

मिसाल के तौर पर निज़ामी गन्जवी का शेअरः-

ज़न अज़ पहलू-ए-चप शुद आफ़रीदा
कस अज़ चप रास्ती हरगिज़ न दीदा

चूँकि औरत उलटे हाथ की तरफ की पसली से पैदा हुई है इसलिए सही रास्ते पर चलने की उससे उम्मीद बेकार है, मगर मशहूर ईरानी आलिम अल्लामा तबातबाई ने तफ़सीरुल मीज़ान में इसी आयत की तफ़सीर फ़रमाई है कि जिस जिन्स से अल्लाह तआला ने हज़रत आदम को पैदा किया हज़रत हव्वा को भी उसी जिन्स से पैदा किया.....

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 9 अप्रैल 2010ई०)

(2)

तारीख़े इन्सानी में औरत एक ऐसी मख़लूक़ है जो हर ज़माने में नाइन्साफ़ी का शिकार रही है। मौजूदा ज़माना भी अलग नहीं है। वह कभी ज़हनी जुमूद की क़ैदी रही तो कभी नक़ली तरक़्क़ी की, कभी जाहिलियत की असीर रही तो कभी आज़ादी और हुक़ूक़े निस्वाँ के फ़रेब और खोखले नारों की। कभी ज़हनी पस्ती के जाल में फंसी तड़पती रही तो कभी उसकी गर्दन में जदीद तरक़्क़ीयाफ़्ता गुलामी का तौक़ डाल दिया गया। ऐसी फ़रियादी रही है जिसकी कोई फ़रियाद सुनने वाला नहीं, ऐसी मुजरिम है कि जिसका कोई जुर्म नहीं। हमेशा क़ैदी रही और मज़लूम। पहले भी थी और आज की दुनिया में भी है।

हमें ये साबित करना है कि ये सिर्फ़ दीने इस्लाम और इलाही पैग़ाम क़ुरआन मजीद है, जिसने औरत को इन्सानी समाज में उसका असली मक़ाम अता किया है और क़ुदरत ने उसके वजूद में जो बेशुमार सलाहियतें अता फ़रमाई हैं, उनके मुताबिक़ उसे मरतबा बख़्शा है। गुज़िश्ता मज़मून में बयान हो चुका कि जहाँ-जहाँ क़ुरआन मजीद में इन्सान की अहमियत और अज़मत का तज़किरा है, वहाँ औरत शामिल है। क़ुरआन मजीद की मुख़तलिफ़ आयतों के जोड़ने से औरत की जो तस्वीर बनती है, वह एक इन्साने कामिल की है। वह मर्द ही की तरह इलाही नेमतों और इनायतों का मदारो महवर है। क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ एक औरत में वह सारी इस्तेदाद और ज़रफ़ियत मौजूद है जो एक मर्द में है। कैसे मुमकिन है कि औरत एक नाक़िस मख़लूक़ हो, जबकि क़ुरआन मजीद में इलाही दावा है, तर्जुमाः ''अल्लाह वह है कि जो चीज़ बनाई बेहतरीन बनाई'' (सूरा सजदाः 7) एक और जगह इरशाद हैः तर्जुमाः ''तुम अल्लाह की मख़लूक़ में कोई बेनज़मी या कमी नहीं पाओगे तो औरत अल्लाह की एक नाक़िस मख़लूक़ कैसे हो सकती है? जब अल्लाह तआला ने इन्सान को

ख़ल्क़ (कहा) तो ख़ुद अपने को मुबारकबाद दी। इस मुबारकबाद में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल हैं। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि जिस तरह से एक मर्द निगाहे क़ुदरत में लायक़े फ़ख़्रे मख़लूक़ है, उसी तरह से एक औरत भी।

औरतों से मुताल्लिक़ जिन ग़लत अक़ीदों की निस्बत क़ुरआन मजीद की तरफ़ दे दी गई है उनमें से एक की तरफ़ गुज़िश्ता मज़मून में इशारा किया गया है कि औरत हज़रत आदम[अ०] की पसली से पैदा की गई है और पसली क्योंकि टेढ़ी होती है, इसलिए उसे भी सीधा नहीं किया जा सकता और ये हमेशा टेढ़ी रहेगी। दूसरा नज़रिया ये भी राएज है कि औरतें तबीअतन और फितरतन मक्कार और धोकेबाज़ होती हैं और इस नज़रिये की निस्बत भी क़ुरआन मजीद ही की तरफ़ की जाती है जो बिल्कुल ग़लत है। मशहूर शायर जामी का शेअ्र हैः-

दर जहाँ अज़ ज़न वफ़ादारी के दीद
ग़ैर मक्कारी व अय्यारी चे दीद

यानी (क्या कहीं दुनिया में किसी औरत को वफ़ादार देखा है। अगर देखा है तो मक्कार और धोकेबाज़ ही देखा है।)

इस बात को साबित करने के लिए कि औरतें पैदाईशी धोकेबाज़ और मक्कार होती हैं, क़ुरआन मजीद से दिलचस्प दलील दी गई है कि क़ुरआन मजीद ने औरतों के धोके के लिए कहा हैः ''कि तुम्हारा धोका बहुत बड़ा है'' (सूरा यूसुफ़ः 28) और शैतान के लिए क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है, तर्जुमाः ''कि शैतान का धोका कमज़ोर है'' (सूरा निसाः 76) नतीजा ये कि औरतों के धोके और बहानेबाज़ी शैतान से भी बढ़ी हुई है। इसके जवाब में पहली बात तो यह है कि औरतों के धोके को बड़ा अल्लाह ने नहीं फ़रमाया है, बल्कि क़ुरआन मजीद ने ज़ुलैख़ा के शौहर अज़ीज़े मिस्र का जुमला नक़्ल किया है। ज़ुलैख़ा और उसकी साथी औरतों की चालबाज़ियाँ देख कर अचानक उसकी ज़बान पर ये जुमला आ गया। दूसरी बात ये है कि जुमला ज़ुलैख़ा और उसकी साथी औरतों के बारे में है, न कि ज़माने की हर औरत मुराद है और शैतान का धोका कमज़ोर है, ये अल्लाह तआला का जुमला है, क्योंकि शैतान की मक्कारियाँ और चालें शैतान के मानने वालों की नज़र में लाख मज़बूत हों, मगर अल्लाह तआला और उसकी मदद और हिमायत के मुक़ाबले में कमज़ोर और बेकार हैं। इसलिए ये कहना कि क़ुरआन में अल्लाह तआला का फ़रमान है कि औरत का धोका शैतान से बढ़कर है, बिल्कुल ग़लतफ़हमी है।

एक और ग़ैर मुन्सिफ़ाना और ग़लत नज़रिया क़ुरआन मजीद की तरफ़ मन्सूब किया जाता है कि हज़रत आदम को शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि हज़रत हव्वा को शैतान ने बहकाया और हज़रत हव्वा ने आदम को बहकाया। पहले शैतान हज़रत आदम के पास गया था, मगर बहकाने में नाकाम रहा। हज़रत हव्वा को शैतान ने राज़ी कर लिया और अब हव्वा ने हज़रत आदम को मना किये गए पेड़ से फल खाने पर तैयार किया, इसलिए असल क़ुसूरवार हज़रत हव्वा हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में औरत क़ुसूरवार है और हम ज़मीन पर जो भी झेल रहे हैं उसकी असल ज़िम्मेदार औरत है। मौलाना रूम ने कहाः

आँ चे आदम कशीदो अवलादश
कारे हव्वास्त आफ़रीं बादश

यानी (जो कुछ बनी नौअ आदम बर्दाश्त कर रहा है वह हव्वा के फेल का नतीजा है, आफ़रीन!)

पूरे क़ुरआन मजीद में कहीं ज़िक्र नहीं कि हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम को रोके गए पेड़ से फल खाने पर मजबूर किया था। ये बात असल में तौरेत में है जिसे क़ुर्आन मजीद की तरफ़ मन्सूब कर दिया जाता है। क़ुरआन मजीद ने आदम और हव्वा दोनों को क़ुसूरवार क़रार दिया है और फ़रमाया कि दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा पैदा किया। इसलिए क़ुरआन के लेहाज़ से जन्नत से निकलने की ज़िम्मेदारी दोनों पर है। ख़वातीन के सिलसिले में बदगुमानियाँ इस हद तक रही हैं कि इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली जैसी शख़सियत ने अपनी किताब ''नसीहतुल मुलूक'' में ये वाक़िआ तहरीर फ़रमा दिया कि किसी हकीम ने शादी के लिए शर्त रखी

कि औरत छोटे क़द की होनी चाहिए। लोगों ने वजह पूछी तो जवाब दिया कि औरत मुसीबत होती है और मुसीबत जितनी छोटी हो बेहतर है। अल्लाह तआला ने जिस औरत को रहमत और मुहब्बत का पैकर बनाया है, उसको मुसीबत गिना जा रहा है। इससे बड़ी नाइन्साफ़ी क्या हो सकती है। इन्साफ़ तो ये है कि हर कामयाब और बलन्द मरतबा मर्द की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है, चाहे वह माँ हो, बीवी हो, या बहन हो।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 23 अप्रैल 2010[ई०])

(3)

माहिरीने नफ़्सियात का कुल्लिया है कि अगर हालात हिम्मत तोड़ने वाले हों, माहोल ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती वाला हो, हर तरफ़ से ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती का सामना हो, नाइन्साफ़ी की फ़िज़ा में दम घुट रहा हो तो रूह टूट जाती है, कमतर होने का एहसास पैदा हो जाता है। फितरी सलाहियतें मुर्दा हो जाती हैं, लेकिन अगर माहौल ठीक-ठाक हो, हालात हिम्मत बढ़ाने वाले हों, दिल बढ़ाने वाले हों तो बेशुमार फितरी सलाहियतें उभर आती हैं और छुपी हुई ख़ूबियाँ सामने निकल कर आती हैं। दीने इस्लाम ने यही कारनामा अन्जाम दिया है। इस्लाम से पहले औरतें दबी-कुचली थीं मगर जब इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त और करामत अता फ़रमाई, उनकी हिम्मत बढ़ाई गई उनके लिए तरक़्क़ी का लम्बा चौड़ा चमकता आसमान सामने लाया गया, तो उनकी छुपी हुई ख़ूबियाँ उभर कर सामने आईं और उन्होंने वह कारनामे अन्जाम दिये कि इन्सानियत हैरतज़दा रह गई।

यहाँ पर रिसालत में ज़माने की कुछ औरतों का तज़किरा ज़रूरी है (उन औरतों का तज़किरा छोड़ा जा रहा है जिनके बारे में सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। जैसे रसूले अकरम[स०] की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा[स०] और उम्महातुल मोमिनीन वग़ैरा) जिनमें एक सहाबिया हज़रत अस्मा[रज़ि०] हैं। उन्होंने मदीने की बहुत से औरतों के साथ रसूलुल्लाह[स०] के हाथों पर बैअत की थी। ये औरत अक़्ल, समझ और ख़िताबत के लेहाज़ से अपना अलग दर्जा रखती थीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने इनके लिए लिखा है कि अक़लमन्दी और दीनदारी में इनका ऊँचा मक़ाम था। इनके ज़ोरे ख़िताबत की वजह से इनका लक़ब था ख़तीबतुन्निसा। इनका एक वाक़िआ बहुत मशहूर है कि मदीने की औरतों ने इनको अपना नुमाइन्दा बनाया था कि उनके हुक़ूक़ के बारे में रसूलुल्लाह[स०] से पूछा करें। हज़रत अस्मार[रज़ि०] ने बज़्मे रिसालत में पहुँच कर औरतों की घर के अन्दर की ख़िदमतों और परेशानियों से मुताल्लिक़ ऐसी फ़सीह व बलीग़ तक़रीर की कि पूरी बज़्म में सन्नाटा छा गया। रसूले अकरम[स०] ने हज़रत अस्मा[रज़ि०] का जवाब देने के लिए सहाब-ए-केराम[रज़ि०] की तरफ़ रुख़ करके सवाल फ़रमाया 'क्या तुम ने किसी औरत की इससे ज़्यादा फ़सीह व बलीग़ तक़रीर सुनी है? (जगह की कमी के कारण तक़रीर पेश नहीं की जा रही है) तमाम सहाबा[रज़ि०] ने एक ज़बान होकर फ़रमाया कि हमने आज तक किसी औरत से ऐसी फ़सीह व बलीग़, जामे और रसा गुफ़्तगू नहीं सुनी। इसके बाद रसूले अकरम[स०] ने ख़वातीन के हुक़ूक़ और निगाहे क़ुदरत में उनकी क़द्रो मंज़िलत बयान फ़रमाकर उस इन्तेहाई अक़्लमन्द और खुशबयान ख़ातून को मुतमइन फ़रमा दिया और जब वह ख़ातून वापस पलटीं तो आँखों में ख़ुशी के आँसू और ज़बान पर नार-ए-तकबीर था। इसी ख़ातून ने जंगे यरमूक में अजीब व ग़रीब शहामत का मुज़ाहेरा किया था। वह उन ख़वातीन में थीं, जिनका काम मुजाहिदीन को खाना पानी पहुँचाना और ज़ख़मियों के मरहम पट्टी करना था, घमासान के जंग में जब पूरा लश्करे इस्लाम ईसाईयों के लश्कर के मुहासरे में आ गया तो हज़रत असमा[रज़ि०] ने अपने ख़ेमे की लकड़ी से दुश्मनों पर हमला कर दिया और 9 रूमी सिपाहियों को वासिले जहन्नम कर दिया।

(इसाबा, जिल्द-2, पेज-235)

नमूने के तौर पर एक और ख़ातून का तज़किरा किया जा रहा है, जिनका नाम नुसीबा अन्सारी[रज़ि०] था। उन्होंने बैअते उक़बा दोम में मर्दों के साथ-साथ रसूले अकरम[स०] से बैअत फ़रमाई थी। ख़ुद बयान फ़रमाती हैं कि मेरा काम मुसलमान सिपाहियों के लिए पानी ले जाना

था। जब जंगे ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो वह कहती हैं कि मैंने अपने को रसूल[स°] के क़रीब पहुँचाया और मश्क को फेंक कर तलवार और तीर कमान लेकर जंग शुरु कर दी और उस जंगे ओहद में बहुत से ज़ख़्म मेरे जिस्म पर लगे। उनकी गर्दन पर जंग में लगे एक गहरे ज़ख़्म का निशान आख़िर उम्र तक था। इस जंग में नुसीबा[रज़ि°] का बेटा मैदान छोड़ने लगा तो अपने बेटे की हिम्मत बंधाई और भागने से रोका। यहाँ तक कि उनके बेटे को एक मुश्रिक ने शहीद कर दिया। माँ ने बेटे ही की तलवार उठाकर क़ातिल को अपने हाथ से वासिले जहन्नम कर दिया। इन औरत को रसूलुल्लाह[स°] ने सनद अता फ़रमाई थी कि नुसीबा[रज़ि°] ने बहुत से मर्दों से ज़्यादा बहादुरी और फ़िदाकारी का मुज़ाहेरा किया है। यही नुसीबा थीं कि रसूलुल्लाह[स°] की ख़िदमत में पहुँचकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल[स°] क्या बात है कि सारे इम्तियाज़ात मर्दों के लिए ख़ास हैं? औरतों का तज़किरा बहुत कम होता है, क्या हम औरतों को कोई मरतबा हासिल नहीं है, उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) ''यक़ीनन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मानने वाले हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदक़ा देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा बदला तैयार करके रखा है। (सूरा अहज़ाबः 35)

जिस ज़माने का और जिस ख़ित्त-ए-अरब का तज़किरा हो रहा है, वहाँ औरत ज़ात ही ज़लील और रुसवा थी न कि वह औरत जो कनीज़ हो और वह भी हबश की काली औरत? मगर इस्लाम ने वह ज़हनी इन्क़ेलाब पैदा कर दिया कि ज़लील तरीन समझी जाने वाली कनीज़ों के ज़हनों से भी कमतरी का एहसास मिट गया और वह मैदाने इल्मो अख़लाक़ और मानवियात की क़हरमान बन गईं। ऐसी औरतों में बलन्द तरीन नाम हज़रत फ़िज़्ज़ा[अ°] का है। जो ख़ानदाने रिसालत के घर की कनीज़ थीं, जिनको रसूलुल्लाह[स°] ने अपनी चहीती बेटी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा[स°] को अता फ़रमाया था। उनका शुमार बलन्द पाया रावियाने हदीस में है। उनकी क़ुरआनी समझ इतनी ज़बरदस्त थी कि बरसों सिर्फ़ क़ुरआन मजीद की आयतों के ज़रिये बातचीत करती रहीं। सिर्फ़ इसी एक मिसाल से मुकम्मल तौर पर साबित होता है कि दौरे रिसालत में मर्दों की तरह औरतों को भी चाहे वह कनीज़ ही क्यों न हों इल्म और समझदारी हासिल करने के बराबर मौक़े दिये जाते थे वह भी मर्दों ही की तरह इल्मो कमाल की बलन्दियों पर पहुँच गई थीं। ज़ाहिर है कि यहाँ ज़मान-ए-रिसालत की ख़वातीन की मुकम्मल तारीख़ लिखना मक़सूद नहीं है, लेकिन बेमिसाल फ़िदाकारी और बेनज़ीर जाँबाज़ी का मुज़ाहेरा करने वाली कुछ औरतों का तज़किरा ज़रूरी था। ऐसी औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चुनना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये ज़्यादती ख़ुद इस बात की रौशन दलील है कि ये कोई इत्तेफ़ाक़ी मामला न था, बल्कि माहोल ऐसा बन गया था कि औरतों को खुलकर अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौक़ा मिल गया और मर्दों ही तरह बलन्द तरीन दर्जों पर पहुँच गईं। इन ही में एक हैरत अंगेज़ शख़सियत का नाम उम्मे सलीम है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास[रज़ि°] जैसी शख़सियत को उनका शार्गिद लिखा है। अगर इस बात को न भी माना जाए तब भी वह रावियाने हदीस में बुलन्द मक़ाम पर थीं। उन्होंने अपने बेटे हज़रत अनस[रज़ि°] को रसूलुल्लाह[स°] की ख़िदमत के लिए हदिया कर दिया था। ज़ैद इब्ने सहल अन्सारी ने जब वह हालते कुफ़्र में थे उम्मे सलीम से शादी की दरख़्वास्त की और मेहर की सूरत में एक बड़ी रक़म का वादा किया तो इस वसीउल क़ल्ब मोमिना ने कहा कि मैं मेहर में दिरहम व दीनार नहीं चाहती, मेरा मेहर सिर्फ़ इतना है कि ज़ैद इब्ने सहल मुसलमान हो जाएं। ज़ैद ने यह बात क़ुबूल कर ली और मुसलमान हो गए। इस वाक़िए से उस मोमिना की बुलन्द किरदारी और आली ज़रफ़ी का अन्दाज़ा हो सकता है।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 7 मई 2010[ई°])

मुख्य समाचार

ग़ैर मुंसिफ़ाना रवैय्या बम बनाने पर मजबूर कर देगा: डा० अहमदी नेजाद

ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने कहा है कि चीनी और ईरानी क़ौमें मिलकर एक 'बेहतर दुनिया' को यक़ीनी बना सकती हैं और दोनों सिर्फ एक होकर ही अपने इस मुश्तरका ख़्वाब को अमली जामा पहनाने के क़ाबिल होंगी। महमूद अहमदी नेजाद ने ये मानीख़ेज़ बात चीनी शहर शंघाई में वर्ल्ड एक्सपो नामी नुमाइश के सिलसिले में मुनअक़िदा एक तक़रीब से ख़िताब करते हुए कही। उन्होंने कहाः "चीन और ईरान की अज़ीम क़ौमें क़दीम तरीन इन्सानी तहज़ीबों के अमीन हैं।" अपने ख़िताब में अहमदी नेजाद ने मग़रिबी मुमालिक पर तन्क़ीद का सिलसिला भी जारी रखा। उन्होंने कहाः "कुछ मुल्क हैं, जैसे कि अमरीका, जिनका रवैय्या बहुत ही ग़ैर मुन्सिफ़ाना है। जौहरी ताक़त से लैस मुल्क दूसरों को पुरअमन मक़ासिद के लिए भी जौहरी तवानाई के हुसूल पर रोक रहे हैं। ये रवैय्या उन्हें मजबूर कर देगा कि वह भी जौहरी बम बनाएं।" ख़याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति का ये ख़िताब मग़रिबी मुल्कों की जानिब से नई तेहरान मुख़ालिफ़ पाबन्दियों के लिए चीन की हिमायत कम कराने की कोशिश था। चीन हर साल अरबों डालर मालियत का तेल ईरान से ख़रीदता है दूसरी तरफ़ बीजिंग ने बुध को सलामती कौंसिल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तेहरा के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ की नई पाबन्दियों के हक़ में वोट दिया था। शंघाई में अपने ख़िताब के दौरान ईरानी राष्ट्रपति चीनी हुकूमत के इस फैसले से बज़ाहिर ग़ैर मुतास्सिर दिखाई दिये। उन्होंने ऐसा अन्दाज़ अपनाया जैसे सलामती कौंसिल में क़रारदाद के लिए चीनी हिमायत बहुत अहम नहीं थी। राष्ट्रपति अहमदी नेजाद के मुताबिक़ उनके अमरीकी हम मन्सब बाराक ओबामा ने ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबन्दियाँ मन्जूर करवा के बहुत बड़ी ग़लती की है और यूँ उन्होंने "ईरानियों के साथ बेहतर ताल्लुक़ात के इमकानात ख़त्म कर दिये हैं।" तुर्की और ब्राज़ील की जानिब से नई ईरान मुख़ालिफ़ पाबन्दियों की हिमायत न करने की वजह से सलामती कौंसिल के फैसले के मुमकिना असरात बज़ाहिर कम हुए हैं। इन पाबन्दियों के ज़रिये ईरान को अपनी ऐटमी तन्सीबात में यूरेनियम अफ़ज़ूदगी न रोकने पर सज़ा दी गई है। सलामती कोन्सिल के ताज़ा फैसले के मुताबिक़ ईरान अब बेरूनी दुनिया से टैंक, जंगी हेलीकाप्टर, जंगी बहरी जहाज़ और कोई मीज़ाइल सिस्टम ख़रीद नहीं सकेगा। इन्हीं पाबन्दियों में ईरान के एटमी और मीज़ाइल प्रोग्राम में किसी न किसी तरह से शरीक चालीस से ज़्यादा कम्पनियों और इदारों के लिए सफ़र की पाबन्दी, एकाउन्ट्स मुन्जमिद करने और तिजारती पाबन्दियों के निफ़ाज़ का ज़िक्र भी किया गया है। अमरीकी कांग्रेस और यूरोपी यूनियन अपनी सतह पर भी तेहरान के ख़िलाफ़ नई पाबन्दियों का अहाता करने में लगे हैं। उधर ईरान में इन्सानी हुक़ूक़ की आला कौन्सिल के सेक्रेट्री जनरल मुहम्मद जावेद लारीजानी ने कहा है कि चीन और रूस पर दबाव डाल कर उन्हें तेहरान मुख़ालिफ़ पाबन्दियों की हिमायत पर मजबूर किया गया। उनके बक़ौल ईरान आलमी बिरादरी में अकेला नहीं हुआ है।

ग़ज़्ज़ा के लिए एक और इमदादी मिशन भेजा जायेगा: सै० हसन नस्रुल्लाह

लेबनानी तन्ज़ीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सै० हसन नस्रुल्लाह ने कहा है कि इमदादी क़ाफ़ले पर हमला करके इस्राईल ने अपने दोस्त तुर्की को खो दिया है। अब ग़ज़्ज़ा में क़ैद अवाम के लिए "फ्रीडम फ़्लोटीला टू" भेजा जायेगा। बैरूत में हज़ारों अफ़राद की रैली से ख़िताब करते हुए हसन नस्रुल्लाह का कहना था कि इमदादी बहरी बेड़े पर इस्राईली जारहियत पर तुर्की का रद्देअमल क़ाबिले तारीफ़ है। इस्राईल ने अपनी हरकत से अपने अहम इत्तेहाद को खो दिया है जो ख़ित्ते में एक अहम स्ट्रेटिजिक तबदीली है। तुर्की का इस्राईल से मआशी और फ़ौजी मदद ख़त्म करना ज़लज़ला साबित होगा। हसन नस्रुल्लाह ने लेबनान की मुस्लिम और ईसाई बिरादरी से अपील की कि "फ्रीडम फ़्लोटीला टू" में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और ग़ज़्ज़ा के क़ैद भाईयों और बहनों की इस्राईली नाकाबन्दी को तोड़ डालें।

नूरे हिदायत फाउण्डेशन में यौमे इमाम ख़ुमैनी[रह०]

4 जून 2010[ई०] को रहबरे इन्क़ेलाबे इस्लामी ईरान आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह ख़ुमैनी[रह०] की इक्कीसवीं बरसी के मौक़े पर दफ्तर नूरे हिदायत फाउण्डेशन वाक़े हुसैनिया हज़रत ग़ुफ़रानमआब में यौमे इमाम ख़ुमैनी[रह०] मनाया गया इस मौक़े पर मुख़्तलिफ़ उलमा, उदबा और शोअरा ने अपने-अपने अन्दाज़ में इमाम ख़ुमैनी की ज़िन्दगी के मुख़्तलिफ़ पहलुओं का तज़किरा किया जल्से की इख़्तेतामी तक़रीर मौलाना असीफ़ जायसी मुदीर माहनाम शुआ-ए-अमल ने फ़रमाई उन्होंने दौराने तक़रीर फ़रमाया कि आज मुसलमानाने आलम दुनिया में जितना भी सरबलन्द हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम ख़ुमैनी[रह०] के ज़रिये बरपा इन्क़ेलाबे इस्लामी ईरान का सदक़ा है। आख़िर में इमाम ख़ुमैनी[रह०] और दीगर शोहदा-ए-इन्क़ेलाबे इस्लामी की तरहीमे रूह के लिए फ़ातेहाख़्वानी की गई।

हौज़-ए-इल्मिया हज़रत ग़ुफ़रानमआब[रह०] का जलस-ए-तक़सीमे इनामात

4 जून 2010[ई०] बरोज़ जुमा क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी मद्दज़िल्लहू के बिनाकर्दा हौज़-ए-इल्मिया हज़रत ग़ुफ़रानमआब के तुल्लाब को इनामात से नवाज़ने के लिए हुसैनिय-ए-हज़रत ग़ुफ़रानमआब में एक जलसा बउनवान ''जल्स-ए-तक़सीमे इनामात'' मुनअक़िद हुआ। इस मौक़े पर हिन्दुस्तान के दीगर मदारियस के उलमा और तुल्लाबे दीनी ने भी जल्से में शिरकत फ़रमाई और तुल्लाबे केराम को ख़िताब फ़रमाया। आख़िर में क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी साहब ने अपनी सदारती तक़रीर में इल्म की तहसील पर ज़ोर दिया और तुल्लाब की रहनुमाई फ़रमाई। इसके बाद तुल्लाब को इनामात से नवाज़ा गया।

नूरे हिदायत फाउण्डेशन में शिया नेशन-डे

19 रजब 1431[हि०] मुताबिक़ 26 जून 2010[ई०] को नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन में ''शिया नेशन डे'' मनाया गया जिसमें मज़ामीन निगार हज़रात और शोअराए केराम ने मदहे अमीरुलमोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद ग़ुफ़रानमआब[रह०] के कारनामों ख़ुसूसन हिन्दुस्तान में शियों की पहली नमाज़े जमाअत (13 रजब 1200[हि०]) और पहली नमाज़े जुमा (27 रजब 1200[हि०]) के क़याम का ज़िक्र किया। वाज़ेह रहे कि 13 रजब 1200[हि०] से ही हज़रत ग़ुफ़रानमआब ने हिन्दुस्तान में शियों को बहैसियत क़ौम मनवाने की तहरीक शुरु की थी। मक़ाला निगार हज़रात ने हम्दे परवरदिगार व नाते सरवरे कायनात के बाद ग़ैर मुनक़सिम हिन्दुस्तान में ग़ुफ़रानमआब का पहली बार नमाज़े जुमा के क़ायम करने का मुहक़्क़िाना अन्दाज़ में तज़किरा किया।

ग़ुफ़्रानमआब की तहरीक

(1) अपने अक़ाएद समझो (2)अपने मज़हबी आमाल बजा लाओ (3) अपनी मज़हबी हैसियत के इज़हार में ताम्मुल न करो। ये ऐसी तहरीक है जिसे हर वक़्त ज़िन्दा रखने की ज़रूरत है ओर इसी तहरीक ने हिन्दुस्तान में शियों के वजूद को ज़ाहिर किया। बेहतर है कि हम सब 13 रजब को थोड़े ही वक़्त के लिए सही ''शिया नेशन डे'' मनाएं और इस तहरीक को ज़िन्दा करें। ग़ुफ़रानमआब की तहरीक में दूसरे मज़ाहिब से तख़ातुब नहीं था आज भी उसी तरह इस तहरीक को चलाने के ज़रूरत है।

हज़रत ग़ुफ़रानमआब[रह०] का देसा

19 रजब 1431हि० यानी हज़रत ग़ुफ़रानमआब की तारीख़े वफ़ात पर मुजद्दिदे मिल्लत मुहयिये शरीअत आयतुल्लाहिल उज़्मा सै० दिलदार अली नक़वी ग़ुफ़रानमआब (मुतवफ़्फ़ी 1235[हि०]) के ईसाले सवाब के लिए मजलिसे अज़ा-ए-सैय्यदुश्शोहदा[अ०], ख़ुद ग़ुफ़रानमआब के बिना करदा हुसैनिया में बरपा हुई। जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की और इख़्तेतामे मजलिस पर हज़रत ग़ुफ़रानमआब[र०अ०] की तरहीमे रूह के लिए फ़ातेहाख़्वानी की गई इसके बाद वक़्फ़ इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब की तरफ़ से मोमिनीन के लिए खाने का इन्तिज़ाम भी किया गया।